विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0006508

मेसर्स गजरा डिफरेंशियल गियर्स (प्रा.) लि., — आवेदक
ग्राम लोहार पिपल्या, क्षिप्रा के पास,
ए.बी. रोड़, देवास (म.प्र.)

विरूद्ध

1. चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
इन्दौर (म.प्र.)

2. कार्यपालक निदेशक (उज्जैन क्षेत्र),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.)

3. अधीक्षण यंत्री (सं./सं.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
देवास (म.प्र.)

आवेदक की ओर से श्री भरत चितले, अधिवक्ता तथा श्री राजकीर्तानी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री धीरज सिंह पंवार, अधिवक्ता तथा श्री एस.के. गंगराडे, कार्यपालन यंत्री उपस्थित।

आदेश
(दिनांक 23.08.2013 को पारित)

1. प्रकरण क्रमांक L0006508 मेसर्स गजरा डिफरेंशियल गियर्स विरूद्ध चीफ इंजीनियर तथा अन्य 2 में विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2008 का पालन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा न किए जाने की आपत्ति के साथ यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता के अनुसार विद्युत लोकपाल ने सी.एम.डी. म.प्र. पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, अतः उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाए ।

3. अनावेदकगण की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया है कि विद्युत लोकपाल के आदेश के अनुसरण में सी.एम.डी. द्वारा दिनांक 14.11.08 को उपभोक्ता के आवेदन पत्र का निराकरण किया जाकर विधिवत् आदेश पारित किया जा चुका है । इस तरह सी.एम.डी. की ओर से लोकपाल के आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

4. उभयपक्ष की ओर से अपने तथ्यों के समर्थन में अत्यधिक मात्रा में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं । मूल विवाद का निराकरण करने के लिए ऐसे दस्तावेजों पर विचार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता के अभ्यावेदन का निराकरण विद्युत लोकपाल को नहीं करना है, अपितु विद्युत लोकपाल के द्वारा उपभोक्ता के अभ्यावेदन के संबंध में जो आदेश दिया गया था उसका पालन संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया है या नहीं, इस तथ्य मात्र पर विचार करना है । अतः विद्युत लोकपाल के सुसंगत आदेश और उक्त आदेश के अनुसरण में सी.एम.डी. द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार किया जाना उचित होगा ।

5. **उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि** – क्या सी.एम.डी. द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश के अनुसरण में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है

6. सुसंगत प्रकरण में उपभोक्ता के अभ्यावेदन के संबंध में विद्युत लोकपाल द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसका सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है :–

> *"7. The third issue raised by the Ld. Advocate of the applicants is that his client has submitted application on 28.12.06 to the CMD MPPKVVCL, Indore in which request was made to reduce the contract demand of 700 KVA although it was not specifically mentioned but by implication it amounted to reduction only. The respondent objected and submitted that applicant was not entitled to submit such application because initial period of two years has not pass since 28.12.06. Considered the submissions made by both the parties. The objection of the respondent is not legally tenable in light of thedetialed discussions made in the para 5 and finding reached therein.*
>
> *8. When the Code came into existence clause 7.12 provided that after the expiry of the initial period of the agreement the consumer may applied to get his contract demand reduced to 50% of the existing contract demand. After the initial reduction he was entitled to one more opportunity to get his contract demend reduced. However the clause 7.12 has been amended w.e.f. 28.07.06 and according to this the provision regarding the*

reduction in the contract demand has been very liberalized. The applicants letter dated 28.12.06 addressed to CMD MPPKVVCL, Indore should have been considered by him in light of the liberalized provision of clause 7.12 of the Code.

9. In light of the above discussions the decision of the CMD Indore communicated to the applicant vide there letter no. CMD/WZ/05/879/14665 dated 06.11.07 signed by SE (Comm) in the office of CMD Indore is hereby cancelled. The decision of the Indore Forum is also hereby set aside. The case is remanded to the CMD MPPKVVCL, Indore for taking decision on the applicant's application dated 28.12.06 in light of the above discussions according to the existing provisions of a clausess 7.10, 7.11 and 7.12 of the Code with in a period of 30 days from the date of receipt of the order by him. It is also clarified that the extra amount paid by the applicant on account of the second supplementary agreement after 01.01.2007 will be subject to the adjustment as per the decision of the C.M.D. MPPKVVCL, Indore."

7. उक्त आदेश के अनुसरण में सी.एम.डी. ने उपभोक्ता को पत्र दिनांक 14.11.08 प्रेषित किया था, उसकी अंतर्वस्तु इस प्रकार है :–

Please refer the Ombudsman order dated 19.08.08 wherein the case has been remanded to the CMD (WZ) MPPKVV.Co.Ltd., Indore for taking decision on your application dated 28.12.06 according to the existing provisions of Clauses 7.10, 7.11 and 7.12 of Supply Code 2004.

In light of above, the matter has been considered and reviewed by the competent authority of West Discom and it has been found that the letter tendered by you on dated 28.12.06 is merely a letter and not an application in prescribed format as per supply code 2004 for reduction in contract demand under 8th ammendment clause 7.10 and 7.11. The insistance on the said application form is because the same has been prescribed by the statutory code, where the Discom have no option.

You request letter dt. 28.12.06 narrating circumstances in availing of additiona load of 700 KVA over and above 700 KVA as per finalised agreement dtd. 28.4.06 concluding request to cancel enhancement in CD/Supplementry Agreement dtd. 28.4.06 for additional 700 KVA can not be termed and treated as an application for reduction in contract demand from 1400 KVA to 700 KVA in purview of supply code clause 7.10.

Therefore the competent authority of the west Discom hads decided the matter in purview of circumstances of the case as explained above. Further for reduction in contract demand from 1400 KVA if desired by you, an application should be made by you in the prescribed format as per rules under supply code clause 7.10 & 7.11 and such request when made shall be allowed as per clause 7.12 of the supply code 2004 after completing all the requisite formalaties in accordance with the statutory scheme.

8. विद्युत लोकपाल ने मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.10, 7.11 तथा 7.12 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता के आवेदन का निराकरण किए जाने का आदेश दिया था । संहिता की धारा 7.10 (म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (आठवॉ संशोधन) [क्रमांक एजी–1 (viii), वर्ष 2006] द्वारा प्रतिस्थापित।) के अनुसार अनुबंध के प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के बाद भार में कमी का आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । उपभोक्ता द्वारा भार में कमी का आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत नहीं किया गया था, इस आधार पर सी.एम. डी. ने उसके आवेदन पत्र को निरस्त किया है । विद्युत लोकपाल ने ऐसा आदेश नहीं किया था कि उपभोक्ता द्वारा यदि अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में भार में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो तब भी ऐसे आवेदन पत्र पर विचार किया जाए । मुख्य रूप सी.एम.डी. द्वारा इसी आधार पर उपभोक्ता का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः सी.एम.डी. ने विद्युत लोकपाल के आदेश का पालन नहीं किया है या आदेश का उल्लंघन किया है यह तथ्य प्रथमदृष्टि साबित नहीं होता है ।

9. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त शिकायत के संबंध में तात्विक दस्तावेजों का उल्लेख करने पर सी.एम.डी. द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश का उल्लंघन किया जाना साबित नहीं होता है, अतः उसकी ओर से प्रस्तुत शिकायत को निरस्त किया जाता है ।

10. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल